न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारीः—दिव्यराज सिंह चुण्डावत, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—53 / 2024 (2024 / 170) प्रार्थना पत्र

अनवान

1 नारायण पिता गोपीलाल जाट निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

2 सायरी पत्नि गोपु जाट निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1 भैरू पिता रूपा जाट निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

2 बदामी पत्नि शिवलाल जाट निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

3 नारायण पिता डुंगा जाट निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

4 छोगा पिता कालु जाट निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

5 शंकर पिता भैरू जाट निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

6 नन्दलाल पिता छोगा जाट निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

7 मोहन पिता बरदा खाती निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

8 राजमल पिता बरदा खाती निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

9 सोहन पिता गंगाराम खाती निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित

1. जाकिर हुसैन — प्रार्थीगण अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 05.09.2024

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है राजस्व ग्राम खेमाणा पटवार हल्का खेमाणा तहसील रायुपर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थी सख्या 1 के खातेदारी अधिकारों की कृषि आराजियात खाता संख्या 570 में अंकित आराजी संख्या 2450 रकबा 0.44 है0 व खाता संख्या 571 में अंकित आराजी संख्या 2445 रकबा 1.08 है0 तथा प्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी कृषि आराजियात खाता संख्या 606 में अंकित आराजी संख्या 3537 / 2443 रकबा 0.15 है0, आराजी संख्या 3539 / 2441 रकबा 0.08 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.23 है0 भूमि स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं। प्रार्थीगण की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नही होने से प्रार्थीगण को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस मे सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थीगण को अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को कई मर्तबा को उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी कराने बाबत् कहा लेकिन विपक्षीगण हरबार टालमबाजी का जवाब देते है। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को अन्तिम बार दिनांक 25.05.2024 को कहा लेकिन विपक्षीगण इन्कार हो

गये, जिससे प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है। अतः प्रार्थीगण की सादर प्रार्थना है कि उक्त वर्णित आराजियात की पत्थरगढ़ी कराये जाने का आदेश तहसीलदार रायपुर के नाम प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 08.07.2024 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे विपक्षी संख्या 1 लगायत 9 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही की गई। प्रार्थीगण खातेदार है और खातेदार अपनी आराजी की पत्थरगढ़ी करवाने के लिये स्वतंत्र है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हाने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। प्रार्थीगण खातेदार होकर अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है जिसमें अगर कोई विपक्षी ऐतराज भी करता है तो कानुनन स्वीकार योग्य नही है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम खेमाणा पटवार हल्का खेमाणा तहसील रायुपर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थी सख्या 1 के खातेदारी अधिकारों की कृषि आराजियात खाता संख्या 570 में अंकित आराजी संख्या 2450 रकबा 0.44 है0 व खाता संख्या 571 में अंकित आराजी संख्या 2445 रकबा 1.08 है0 तथा प्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी कृषि आराजियात खाता संख्या 606 में अंकित आराजी संख्या 3537 / 2443 रकबा 0.15 है0, आराजी संख्या 3539 / 2441 रकबा 0.08 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.23 है0 भूमि स्थित है। जिसकी पत्थरगढ़ी कराये जाने हेतु सम्बधित भू—अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढ़ी शुल्क 200 / —रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 500 / —रूपये जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर कमिश्नर से विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 05.09.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिव्यराजसिंह चुण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर, जिला भीलवाड़ा
उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (भीलवाड़ा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारीः–दिव्यराज सिंह चुण्डावत, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–53 / 2024 (2024 / 170) प्रार्थना पत्र

अनवान

1 नारायण पिता गोपीलाल जाट निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2 सायरी पत्नि गोपु जाट निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1 भैरू पिता रूपा जाट निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2 बदामी पत्नि शिवलाल जाट निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3 नारायण पिता डुंगा जाट निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4 छोगा पिता कालु जाट निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5 शंकर पिता भैरू जाट निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6 नन्दलाल पिता छोगा जाट निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7 मोहन पिता बरदा खाती निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8 राजमल पिता बरदा खाती निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9 सोहन पिता गंगाराम खाती निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

प्रेषित :–तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा पत्थरगढ़ी कराने बाबत्

उपरोक्त अनवान के प्रकरण में प्रार्थी के द्वारा अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाने पर दिनांक 05.09.2024 को स्वीकार किया गया उक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में आपको आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम खेमाणा पटवार हल्का खेमाणा तहसील रायुपर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थी सख्या 1 के खातेदारी अधिकारों की कृषि आराजियात खाता संख्या 570 में अंकित आराजी संख्या 2450 रकबा 0.44 है0 व खाता संख्या 571 में अंकित आराजी संख्या 2445 रकबा 1.08 है0 तथा प्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी कृषि आराजियात खाता संख्या 606 में अंकित आराजी संख्या 3537 / 2443 रकबा 0.15 है0, आराजी संख्या 3539 / 2441 रकबा 0.08 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.23 है0 भूमि स्थित है।

इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढ़ी शुल्क 200 / –रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 500 / –रूपये सम्बधित भू–अभिलेख निरीक्षक के पास जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें।

मौके पर दौराने पत्थरगढ़ी अगर प्रार्थीगण की आराजियात पर विपक्षी या अन्य का कब्जा पाया जाता है तो बिना कब्जे में दखल दिये उसको नजरी नक्शा एवं ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाते हुए पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका के प्रस्तुत करें।

हुक्मनामा आज दिनांक 05.09.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया गया।

(दिव्यराजसिंह चुण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी,
रायपुर (भीलवाड़ा)